डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई

जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बॉदीकुई

उनवान– मोहन सिह बनाम विजेन्द्र सिंह

दावा बाबत– स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 77/2020 न्यायालय में दर्ज संख्या 148/2023

अतः आदेश है कि खाता संख्या नया 168 पुराना 1 वाके रामा ऊनबडागांव खसरा नम्बर 1055/2298 रकबा 0.1900 हैक्टेयर खाता संख्या नया 168 पुराना 1 वाके ग्रामा ऊनबडागांव वादग्रस्त भूमि में वादी गैर खातेदार दर्ज है वादी के कब्जे काश्त में केसी भी प्रकार की मजाहमत करने, बलपूर्वक कब्जा करने व अवैध रूप से रेत/बजरी का खनन करने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने परिजन , रिस्तेदारान, प्रतिनिधि महित जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण ाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में नेर्णय सुनाया गया।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.....0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी क...0 का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 07 सन् 2024 ो जारी की गई।

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 18:01:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

मु.न. 77 / 2020
न्यायालय में दर्ज संख्या 148 / 2023
दर्ज दिनांक 24.05.2023
निर्णय दिनांक 31.07.202

उनवान

1. मोहन सिंह पुत्र सुर्जन सिंह जाति राजपुत निवासी ऊनबडागांव तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा।

वादी ....।

बनाम

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र मंगुसिंह जाति राजपुत निवासी ऊनबडागांव तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई
2– मलखान सैनी पुत्र बिरद्या सैनी जाति माली निवासी ऊनबडागांव तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील जिला दौसा।

प्रतिवादीगण..............।

निर्णय दिनांक 31.7.2024

उपस्थितः–
श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह , अधिवक्ता वादी
श्री छोटेलाल सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 31.7.2024

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– खाता संख्या नया 168 पुराना। आराजी कृषि भूमि कारा नम्बर 1055 / 2298 रकबा 0.1900 वाके रामा ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसका वादी तनहा गैर खातेदार काबिज कास्तकार है। जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पेश है। भूमि मुतदाविया का वादी एक मात्र तन्हा गैर खातेदार काबिज कास्तकार है। भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का कोई लेना देना वास्ता नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 रेत व बजरी माफिया है जो हर प्रकार से सक्षम है। जिन्हे कानून का कोई भय नही है। भूमि मुतदाविया की उत्तरी सीमा से लगती हुई प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1055 रकबा 1.4100 है. स्थित है तथा पश्चिम भुजा से लगती हुई चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1056 स्थित हैप्रतिवादी संख्या एक लगायत दो भूमि ... खसरा नम्बर 1056 में अवैध रूप से रेत व बजरी खनन करते हुए वादी की ... की गैर खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 18:01:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

मोहन सिंह

संलग्न वाद पत्र पेश है।

भूमि मुतदाविया में बल पूर्वक काबिज होकर रेत खनन करना चाहते है। दिनांक 247.06. 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 जेसीबी मशीन व पांच टेक्ट्रर लेकर भूमि मुतदाविया में अवैध रेत व बजरी खनन के लिये प्रवेश करने लगे जिनके साथ 14–15 मजदुर भी थे। जिसकी जानकारी होते ही वादी ने भूमि मुतदाविया में प्रवेश करने से बडी मुश्किल से रोका। इस घटना की शिकायत दिनांक 25.06.2020 को वादी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बांदीकुई में भी की थी। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 2 भूमि मुतदाविया पर काबिज होने से तथा रेत/ बजरी का अवैध खनन करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 1.07.2020 को दिन के 10.00 बजे के लगभग प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने साथ जेसीबी मशीन तथा टैक्टर ट्राली व करीब 10–12 मजदुरो को साथ लेकर भूमि मुतदाविया में प्रवेश करने लगे। भूमि मुतदाविया में फसल बुवाई के लिये वादी व उसके पुत्र सूड कर रहे थे तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगयात 2 से कहा कि यह मेरी कृषि भूमि है। तुम इसमें बार बार अवैध खनन करने क्यो आते हो और उन्हे प्रवेश करने से रोका तो प्रतिवादी संख्या 01 ल. 2 वादी से झगडा फिसाद करने लग गये और कहने लगे कि हमारे सामने औकात ही क्या है। आज हम तेरी इस कृषि भूमि पर काबिज होकर रेत व बजरी का अवैध खनन करके ही रहेगे तथा वादी व वादी के पुत्रो को मारने पर आमादा हो गये। हल्ला सुन कर आस पास के लोग व गांव वाले आये उन्होने बडी मुश्किल से प्रतिवादी संख्या 01 ल० 02 को वहा से वापिस लौटाया। प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 2 रेत/ बजरी मॉफिया है जिन्हे कानून का कोई भय नही है। प्रतिवादी सं 1 लगाय 2 को भूमि मुतदाविया से कभी भी जबरन बेदखल कर कब्जा कर रेत व बजरी का अवैध खनन कर सकते है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगा. 02 अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो वादी अपने जायज हक हकुको से वंचित हो जावेगा। जिसकी पूर्ती किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी तथा बलोस मुकदमे बढेगे जो बाय से बर्बादी वादी होने तथा वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तकमीना होने के कारण वादी के पास दावा हाजा लाने के अलवा अन्य कोई चारा नही है इसलिये वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को भूमि मुतदाविया में वादी की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत करने प्रवेश करने कब्जा करने व अवैध रेत व बजरी खानन करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं० 3 राजस्थान राज्य के विरूद्ध कोई इत्तदुआ नहीं चाही गई है। लैण्ड होल्डर होने के कारण जरिये तहसीलदार फारमल पक्षकार बनाया गया है। दावा अन्दर मियाद पेश है। अतः दावा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 इस्दुआ स्वीकार करते हुये डिकी फरमाया जावे कि वादी की गैर खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मुतदाविया खसरा नम्बर 1055/2298 रकबा 0.1900 हैक्टेयर खाता संख्या नया 168 पुराना 1 वाके रामा ऊनबडागांव वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने, बलपूर्वक कब्जा करने व अवैध रूप से रेत/बजरी का खनन करने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने परिजन , रिस्ते दारान, प्रतिनिधि सहित जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रहे। वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री छोटेलाल सैनी एडवोकेट द्वारा यूटी पेश की गई। प्रतिवादीगण को जवाब देने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया जवाब पेश नही होने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की और से स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 18:01:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

संलग्न वाद पत्र पेश है।

जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दावे को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही हुई है। वादी द्वारा वाद की ताईद में प्रर्दश 1 ग्राम ऊनबडागांव के खाता संख्या नया 168 पुराना 1 संवत 2073–2076 खसरा नम्बर 1055/2298 तथा प्रदर्श 2 नक्श ट्रेस पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश नही हुआ जिसके कारण वाद का खण्डन नही हुआ है। प्रदर्श 1 ग्राम ऊनबडागांव के खाता संख्या नया 168 पुराना 1 संवत 2073–2076 खसरा नम्बर 1055/2298 में वादी मोहन सिंह पुत्र सुर्जन सिंह गैर खातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजात/जवाब पेश नही किया गया जिससे यह साबित जो की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का हक अधिकार निहित हो। प्रदर्श 1 जमाबन्दी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार है। जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी काबिज कास्त है। कोई काबिज कास्तकार अपनी भूमि में अन्य व्यक्तियो को दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी दावा स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि खाता संख्या नया 168 पुराना 1 वाके रामा ऊनबडागांव खसरा नम्बर 1055/2298 रकबा 0.1900 हैक्टेयर खाता संख्या नया 168 पुराना 1 वाके रामा ऊनबडागांव वादग्रस्त भूमि में वादी गैर खातेदार दर्ज है वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने, बलपूर्वक कब्जा करने व अवैध रूप से रेत/बजरी का खनन करने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अपने परिजन, रिस्तेदारान, प्रतिनिधि सहित जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

31.7.24

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
टोडाभीम

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) टोडाभीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.08.14 18:01:49 IST
Reason: SelfAttested

मोहन सिंह

तलब्न वाद पत्र पेश है।